प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 03.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 12,000/- रु0 अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना फ्रेंण्डस कालोनी व मानीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 12,000/- रु0 अर्थदण्ड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.07.2022 को वादी अजय प्रकाश पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी अड्डा गूलर थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा ने थाना फ्रेण्डस कालोनी पर अभियुक्त द्वारा उसके पुत्र सचिन कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर देने, मोबाइल तथा सोने की चेन, अंगूठियां गायब कर देने के संबंध में तहरीर दी गयी। जिसके संबंध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर मु0अ0सं0 254/2022 धारा 302/404 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह थाना फ्रेण्डस कालोनी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम, पैरोकार का0 अभिषेक एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री तरुण कुमार शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 03.12.2024 को में मा0 न्यायालय ADJ-I इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 12,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी निवासी मोहम्मदपुर लुधपुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा।**